

September 04, 2026

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai – 400001, Maharashtra

Scrip Code – 544709

ISIN: INE0P8B01020

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400051, Maharashtra

Symbol – GAUDIUMIVF

ISIN: INE0P8B01020

Dear Sir/Madam,

Subject: Intimation of Post-Dispatch Newspaper Advertisement for the Notice of the 11th Annual General Meeting and E-Voting Information

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the Newspaper Advertisement, published in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, confirming the completion of dispatch of Notice of the 11th Annual General Meeting ('AGM') and E-Voting information along with the Annual Report for the Financial Year 2025-26, and providing other necessary information pertaining to the 11th AGM scheduled to be held on **Monday, September 28, 2026 at 02:00 P.M. (IST)** through Video Conferencing/Other Audio Visual Means published in the following editions:

- a) Financial Express (National Daily newspaper) on September 04, 2026
- b) Jansatta (Daily newspaper of the State) on September 04, 2026

Thanking you,

Yours faithfully,

For and on behalf of Gaudium IVF and Women Health Limited

(Formerly known as Gaudium IVF and Women Health Private Limited)

Naveen Kumar

Company Secretary and Compliance Officer

Membership No.: A69788

Encl: a/a



India, Belgium agree to boost trade, tech and defence ties

Changing base years have not altered narratives

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, September 3

INDIA AND BELGIUM on Thursday vowed to expand cooperation in trade, defence, critical minerals, clean energy and technologies following Prime Minister Narendra Modi's wide-ranging talks with his Belgian counterpart Bart De Wever.

In his media statement, Modi highlighted India's 7.8% economic growth in the last quarter and framed the country's rise as a source of confidence and new opportunities for the world.

The Belgian Prime Minister described the conclusion of the India-European Union free trade pact as a major milestone and said New Delhi and Brussels are building a relationship that is broad and more strategic than ever before.

"Today, the world is going through a period of great upheaval. Conflicts continue to persist in many parts of the world. Whether it is food, fuel, or supply chains, every sector is being impacted by uncertainty," Modi said.

"In this challenging environment, India's economy has maintained its momentum. We recorded 7.8% growth in the last quarter. Today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world," he added.

Modi described the defence and security cooperation between the two countries as a "key pillar" of the overall relationship.

"Today, we agreed to enhance military exchanges and training cooperation



Prime Minister Narendra Modi shakes hands with Belgian Prime Minister Bart De Wever during a joint press meet at Hyderabad House, in New Delhi on Thursday

between the two countries. The agreements between the governments and defence industries will open up new opportunities for defence co-development and co-production," he said. "We will also further strengthen intelligence sharing and cooperation between our agencies in combating crime," Modi noted.

The prime minister said people-to-people ties between the two nations are the "greatest strength" of the engagement, adding both sides agreed to strengthen connections between start-ups and to enhance capacity building in the maritime sector.

"We will also strengthen university and research cooperation. And, to facilitate talent mobility, we will soon conclude a Migration and Mobility Part-

nership Agreement," he said. Modi once again pitched for resolving the conflicts in Ukraine and West Asia through dialogue and diplomacy.

"India and Belgium, both believe in the rule of law, dialogue, and diplomacy. Be it Ukraine or West Asia, we support all efforts for the early end of conflicts and for peace," he said.

The prime minister said India and Belgium are committed to eradicating every form of terrorism.

Modi listed the priorities of the two countries to expand cooperation in areas of high technology and clean energy.

"A clean energy future and reliable supply chain are our shared priorities. An MoU signed today on renewable energy will give new momentum to our sustainability coop-

eration," he said. "In critical minerals, we have decided to increase cooperation in processing and recycling. In semiconductors, Belgium's expertise and India's scale are complementary to each other," he added.

De Wever's trip builds on the Belgian Economic Mission to India that was led by Princess Astrid in March last year. Around 40 agreements were signed during the visit of the Belgian Economic Mission.

De Wever's visit will also reinforce Belgium's important role in strengthening India-EU relations, said an official.

India and Belgium share historical ties spanning over three centuries. Belgium was among the first European countries to establish diplomatic relations with independent India, in September 1947.



MADAN SABNAVIS

THE REVISION OF base years for various economic indicators is an ongoing process, and this has been done for almost all major variables.

Two things stand out. The first is that the base years for different indicators vary. In case of Gross Domestic Product (GDP), Index of Industrial Production (IIP) and Core sector it is 2022-23. When it is the Wholesale Price Index (WPI) it is 2022-23 but for Consumer Price Index (CPI) is 2024 (calendar). For the new Producer Price Index (PPI) it is 2022-23. The trial services sector index has 2024-25. This raises a discussion of whether all of them could be aligned to a single base. This is so because all of them invariably are used in others. For example, deflators for GDP use both WPI (and now PPI) and CPI, where the base years would be different. The data on services sector would not perfectly match that with the GDP with different base years. Also, for the purpose of comparability, having similar years would be more appropriate.

The second is that it would have been seamless if all the new indicators were introduced at the same time instead of in different months.

While these two issues are relevant from a theoretical viewpoint, an issue that needs to be examined is that with the change in base years and compositions of the indicators, do the past narratives change? This is important because sev-



eral decisions, especially those concerning monetary policy, were taken based on certain data sets, which could have changed with the new series.

This is why there should be regular revisions in all these series to lower this noise factor.

The issue with new series is that they can be tracked only from the time the Statistics Ministry decides on a particular year. Going back in time would just mean extrapolations and not give a true picture as the composition of the series would tend to be very different. In fact, it would not be possible to get data on components in a new index which was sparse in earlier years.

Let us look at them sequentially. For FY24, growth in new series came in lower by 190

basis points (bps), while for the subsequent two years, it came higher by 40-70 bps. Typically, for a growth rate of say 7.4% under the old series for FY26 a 5% variation would have been about 38 bps. The variations do appear to be on the higher side. However, in terms of direction the new and old indices were telling the same story. The issue was more with FY24 where growth in the earlier series was at 9.2% against 7.3% in the new one. In case of IIP, growth data is presented for FY25 and FY26. In FY25, the variation was 160 bps but came down to 10 bps in FY26. The variation was again highest in the first year of the series. However, the narrative here changed. In the old series, growth remained unchanged at 4.1% in FY26, while the new series talks of a decline from 5.7% to 4.2%.

Core sector data was close and the difference in FY25 and FY26 was 20 bps — lower in first year and higher in second.

The issue with new series is that they can be tracked only from the time the Statistics Ministry decides on a particular year

QUICK PICKS

Delhi court grants bail to Satyendar Jain in DJB case

A DELHI COURT ON Thursday granted bail to AAP leader and former Delhi minister Satyendar Jain in a corruption case involving the Delhi Jal Board (DJB). "Bail plea is allowed," Special Judge Dig Vinay Singh said in a brief order passed orally. He directed Jain to furnish a personal bond of ₹2 lakh along with two sureties of the like amount. A reasoned order is awaited. Jain had been sent to 14-day judicial custody on August 19.

—PTI

Bengal CM warns schools over Vande non-compliance

WEST BENGAL CHIEF Minister Suvenhu Adhikari on Thursday warned schools that financial aid and other government support would be stopped if the mandatory singing of the full version of Vande Mataram during school prayers was not strictly followed. Adhikari alleged that the state's education system had been "brought to the brink of destruction" under successive governments in the past.

—PTI

Bar councils have no power over law students, says SC

ANANTHAKRISHNAN G
New Delhi, September 3

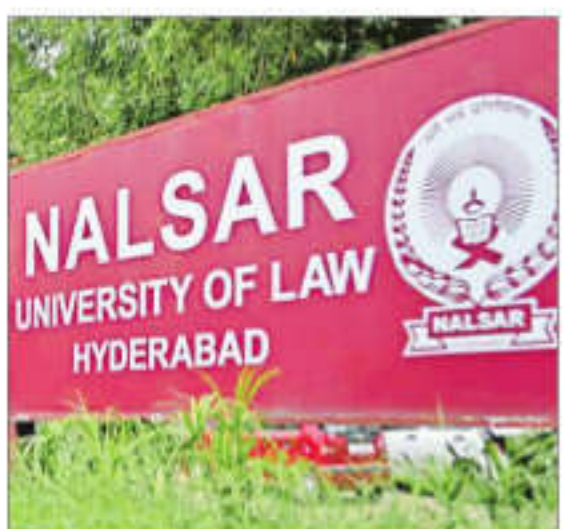
THE SUPREME COURT on Thursdaysaid the Bar Council of India (BCI) and State Bar Councils have no power to take disciplinary action against law students before they are enrolled as lawyers, holding that such matters fall exclusively within the domain of their educational institutions.

The bench was hearing a plea against BCI Chairman Manan Kumar Mishra's now-withdrawn directions on barring the 2026 graduating batch of NALSAR University of Law, Hyderabad, from enrolling with State Bar Councils and seeking an inquiry to identify students behind a campaign against inviting Chief Justice of India Surya Kant for the university's convocation. The directive, issued on August 13, was rolled back within hours.

"We are of the opinion that the Advocates Act, 1961, whereunder BCI has been statutorily created, does not confer any express or implied power upon the BCI or any State Bar Council to take any disciplinary action against the students of law; such a power is preceded by registration of a law graduate as an advocate under the said Act," said the three-judge bench presided by the CJI.

"So far as students are concerned, it is their parent institution or the authority prescribed under the regulations/bylaws of such institution who alone are competent to take disciplinary

DISCIPLINARY ACTION



Such matters fall exclusively within the domain of their educational institutions, the top court said

The bench was hearing a plea against BCI Chairman Manan Kumar Mishra's now-withdrawn directions on barring the 2026 graduating batch of NALSAR University of Law, Hyderabad, from enrolling with State Bar Councils

The bench held that all communications issued by the BCI on August 13 were "without any authority of law"

action," said the bench which included Justices Joymalya Bagchi and V Mohana.

The bench held that all communications issued by the BCI on August 13 were "without any authority of law". On August 14, too, when the matter was mentioned before the court, the CJI had expressed his displeasure over the BCI's actions. The court had passed an interim order protecting the NALSAR students and faculty from any punitive action at the instance of the BCI or State Bar Council. On Thursday, the court disposed of the petition, making the interim order absolute.

Appearing for the petitioners, Senior Advocate K Parameshwar said: "It is not about just one student. It is about banning freedom of speech and expression across an entire university... We want to know under

what circumstances those orders were passed, whether meetings were held. After all, it's a statutory authority responsible for legal education and for regulating the legal profession." Agreeing with Parameshwar's remarks on the BCI's jurisdiction, the CJI said: "...as far as the conduct of law students is concerned, BCI has no jurisdiction or statutory. That's an exclusive domain of the educational institution. There cannot be any dispute on that."

"We have no doubt about it that the very fact that it was withdrawn means that there must be some realisation that a mistake, if not a blunder, was committed, that has been rectified," the CJI said.

BCI Chairman Mishra told the court that "everything has been closed" and the "matter should be given a quietus."



GAUDIUM IVF AND WOMEN HEALTH LIMITED
(Formerly known as Gaudium IVF and Women Health Private Limited)
Regd. Office: B-1/51, Janakpuri, New Delhi-110058, India, **Tel.:** 011-4885 8585
Email: compliance@gaudiumivfcentre.com | **Website:** www.gaudiumivfcentre.com
CIN: L85100DL2015PLC278296

NOTICE OF THE 11th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 11th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Gaudium IVF and Women Health Limited (the "Company") is scheduled to be held on **Monday, September 28, 2026 at 02:00 P.M. (IST)**, through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with the General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025, read with other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in this regard ("Circulars"), to transact the business(es) set out in the Notice convening the AGM of the Company. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company at B-1/51, Janakpuri, New Delhi-110058, India.

The Company, in compliance with the applicable statutory requirements and Circulars, has on September 3, 2026, duly sent the AGM Notice and the Annual Report for the Financial Year 2025-26 by email, only to the Members of the Company holding shares of the Company as on **Friday, August 28, 2026** and whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s)/Registrar & Share Transfer Agent – Bigshare Services Private Limited ("RTA") of the Company. The entire paid-up equity share capital of the Company is held in dematerialised form. Further, pursuant to Regulation 36(1)(b) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), a letter providing web-link, including the exact path and QR code for accessing the AGM Notice and the Annual Report for the Financial Year 2025-26 was dispatched on September 3, 2026, to those Members who have not registered their email address(es) either with the Company or with any Depository or RTA of the Company.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, as amended, the Company is providing Remote E-Voting facility ("Remote E-Voting") and facility of E-Voting during the AGM ("E-Voting") (collectively referred as "electronic voting") to all eligible Members as per applicable provisions of the Act and the Circulars on all the business(es) as set out in the Notice of the AGM. The Members who will not cast their vote by Remote E-Voting shall be able to vote at the AGM through E-Voting. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") as the Agency to provide electronic voting facility and facility to conduct the AGM through VC/OAVM. M/s. Suresh Naiwal & Company, Practicing Company Secretaries (FRN: S2020DE764700, Peer Review No. 3349/2023), have been appointed as the Scrutiniser for conducting the electronic voting process, in accordance with the law, in a fair and transparent manner.

- The Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date, i.e. **Monday, September 21, 2026**, only shall be entitled to cast their vote through electronic voting, on business(es) as set out in the Notice. The shareholders participating through the VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.
- The emailing of the AGM Notice along with the Annual Report for the Financial Year 2025-26 has been completed by the Company on September 3, 2026.
- The Remote E-Voting period commences on **Friday, September 25, 2026, 09:00 A.M. IST and ends on Sunday, September 27, 2026, 05:00 P.M. IST**. The E-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members who have not cast their vote on the Resolutions through Remote E-Voting and are otherwise not barred from doing so, will be eligible to vote through E-Voting system of NSDL made available by the Company during the AGM.
- Any person, who acquires shares of the Company & becomes the Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and is holding shares as on the cut-off date, i.e. Monday, September 21, 2026, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. If a person is already registered with NSDL for E-Voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
- Once a vote on a resolution is cast by the Member by using Remote E-Voting facility, the same shall not be allowed to be changed subsequently or cast the vote again. The Members who have cast their vote by Remote E-Voting prior to the AGM may also attend the AGM but will not be entitled to cast their vote again. In case of joint holders, the Member whose name appears first in the Register of Beneficial Owners shall be entitled to vote.
- The Members may note that the Notice of the 11th AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2025-26 is available on the website of the Company at www.gaudiumivfcentre.com and on the websites of Stock Exchanges, viz. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
- Copies of the relevant documents will be available for inspection in electronic mode during business hours on a working day, up to the date of the AGM. The Members can inspect the same by sending an email to compliance@gaudiumivfcentre.com.
- The Members may join the AGM through VC/OAVM by clicking on the "VC/OAVM" link placed under the "Join Meeting" menu against the name of the Company after logging into the NSDL e-Voting system, using their Remote E-Voting credentials. The facility will be available from 15 (fifteen) minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting, on a first-come first-served basis.
- Those shareholders who have not yet registered their email addresses are requested to get their email addresses registered for electronic voting by following the procedure given in the AGM Notice.
- In case of any grievance/concern connected with electronic voting, the Members may contact Ms. Pallavi Mhatre, Deputy Vice President, NSDL, at email.evoting@nsdl.com, contact no. 022-4886 7000. The Members may also contact Mr. Naveen Kumar, Company Secretary & Compliance Officer, for any concern connected with electronic voting at the Registered Office of the Company at B-1/51, Janakpuri, New Delhi-110058, India, Tel.: 011-4885 8585, email: compliance@gaudiumivfcentre.com.

Helpdesk for individual shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository, i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	The Members facing any technical issue in login may contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022-4886 7000.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	The Members facing any technical issue in login may contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800-21-09911.

For Gaudium IVF and Women Health Limited

Sd/-

Naveen Kumar

Company Secretary & Compliance Officer

Membership No.: A69788

Date: September 3, 2026

Place: New Delhi



DUCON INFRA TECHNOLOGIES LIMITED
Regd. Office: Ducson House, Plot No. A/4, Road No. 1, MIDC, Wagale Industrial Estate, Thane (W) - 400 604, India
Tel.: 91-22-41122114, **Fax:** 022 41122115
URL : www.duconinfra.co.in **CIN:** L72900MH2009PLC191412

NOTICE OF THE 17th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERRING (VC)/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM) AND BOOK CLOSURE INFORMATION

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting ("the AGM") of Ducson Infra Technologies Limited ("the Company") is scheduled to be held on **Monday, September 28, 2026 at 5:30 p.m. (IST)** through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual means (OAVM) without physical presence of the members at the common venue, in compliance with Circular No. 14/2020 dated 8 April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 5 May 2020, Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, Circular No. 19/2021 dated 8th December, 2021, Circular No. 21/2021 dated 14th December, 2021, Circular No. 2/2022 dated 5 May, 2022, Circular No. 10/2022 dated 28 December, 2022 and Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 (collectively "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs and applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circular nos. SEBI/HO/CFD/CMD/CI/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CI/R/2023/4 dated January 5, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFDPOD-2/P/CI/R/2024/133 dated October 3, 2024 (collectively "SEBI Circulars") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), to transact the Ordinary business and Special business set out in the notice dated September 02, 2026. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under the Section 103 of the Act. The Deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company.

Electronic copies of the Notice of the 17th AGM, procedure and instructions for e-voting and the Integrated Annual Report for the Financial Year 2025-26 has been sent on September 04, 2026, to all those Members whose email IDs are registered with the Registrar & Share Transfer Agent Company/Depositories. Since this AGM is being held through VC/OAVM pursuant to the MCA Circulars, physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for the AGM and hence the proxy form and attendance slip were not annexed with Notice of AGM. The Notice of the AGM and Annual Report were not annexed with Notice of AGM. The Notice of the AGM and Annual Report are also available on the Company's website viz. www.duconinfra.co.in and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") viz. www.evoting.nsdl.com and also on the websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com. The Members who wish to obtain physical copy of Annual Report can send a request at cs@duconinfra.co.in mentioning Folio No./DP ID and Client ID.

All the members are informed that:

- All the Ordinary Resolutions and Special Resolutions as set in the Notice dated September 02, 2026 are to be transacted through electronic means i.e. by remote e-voting or e-voting at the AGM.
- The date of completion of dispatch of notice of 17 AGM: September 04, 2026.
- The date and time of commencement of remote e-voting: September 25, 2026 at 9:00a.m. IST.
- The date and time of end of remote e-voting: September 27, 2026 at 5:00p.m. IST.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by e-voting or at the AGM: September 21, 2026.
- Those persons who have acquired shares and have become the members of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holding of shares as of cut-off date i.e. September 21, 2026, may obtain login id and password by sending a request on evoting.nsdl.com. However, if you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. Further, the detailed procedure for remote e-voting, e-voting at the AGM and procedure to join AGM is given in the Notice of AGM dated September 02, 2026.
- The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after 5.00 p.m. IST on September 27, 2026. The members who have not voted through remote e-voting can cast their vote through e-voting at the AGM. The Members through remote e-voting can attend the AGM but will not have right to vote at the AGM. Once the vote on resolution is cast by member, shall not be allowed to change it subsequently.
- Member whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the AGM.
- The voting rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on September 21, 2026, being cut-off date.
- Website address of the Company where 17th Annual Report for financial year 2025-2026 including notice is displayed-www.duconinfra.co.in
- The Members who have not registered their e-mail address can register the same with the Depositories through their respective Depository Participants, in case shares are held in demat mode and with Company's RTA (M/s Bigshare Services Private Limited) by submitting Form ISR-1 in case the shares are held in physical mode. Form ISR-1 can be downloaded from Investor section of Company's website at www.duconinfra.co.in.
- Mr. Sachin Bidkar (Membership No.: 14002, CP No.: 14666), Practicing Company Secretary, has been appointed as Scrutinizer for scrutinizing Remote E-Voting and E-voting at Annual General Meeting in a fair and transparent manner.
- In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) - for members and e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or no. 022-4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com.
- Contact details of the person responsible to address the grievances connected with e-voting: National Securities Depository Limited (NSDL), Ms. Prajakta Pawle, Deputy Manager, National Securities Depository Limited 301, 3rd Floor, Naman Chambers, G Block, Plot No. C-32, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai- 400051, telephone 022- 48867000, Email id: evoting@nsdl.com

By order of the Board

For Ducson Infra technologies Limited

Sd/-

ARUN GOVIL

Managing Director

Place: Thane

Date: 02-09-2026

epaper.financialexpress.com

New Delhi

एक्सिस बैंक लि0 कब्जे की नोटिस

रिटेंट एसेट्स सेंटर: प्रथम तल, जी-4/5 बी सेंटर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ- 228010

रजिस्टर्ड ऑफिस: (त्रिगुल), तृतीय तल, समरथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

जबकि, ओहोहास्राही, एक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिन्धोपेटिटइजशन एण्ड रिस्कन्ट्रोलान ऑफ फाइनेशियल एसेट्स एण्ड एग्रेसोर्समेंट ऑफ सिन्धोपेटिट इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिन्धोपेटिट इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) क्त, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ओहोहास्राही ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशुगी ब्या, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टेगेज के विधायजीन होगा। ऋणी/सह-ऋणी/संप्रदाता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सफेसी एक्ट की धारा 13(8) की और आकृष्ट किया जाता है कि तब समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोनर) कर सकते हैं।

खातेदार /गारन्टर्स का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि मांग सूचना की तिथि कब्जे की तिथि
1. श्री दिलीप कुमार सिंह (आवेदक) पुत्र श्री तीर्थ नाथ सिंह पता: 1. मनगं 78 भरतपुर हाउस खंडार टी.डी.एस. वरूणवीर के सामने, आगरा, उ०प्र०-282002, पता: 2. फ्लैट नं० 403 चतुर्थ तल नालंदा प्राइड खंडार आगरा, उ०प्र०-282002, पता: 3. हेरैटेज इन्स्टीट्यूट ऑफ इंटरल एण्ड दूरिग सी/ओ दिलीप कुमार सिंह हेरैटेज नॉलेज सिटी 13 कि.मी. माइलस्टोन बम्बली कटारा, आगरा, उ०प्र०-282001, 2. श्रीमती उषासना सिंह (सह-आवेदक) पत्नी श्री दिलीप कुमार सिंह पता: 1. मनगं 78 भरतपुर हाउस खंडार टी.डी.एस. वरूणवीर के सामने, आगरा, उ०प्र०-282002, पता: 2. नै० हेरैटेज हाउस सी/ओ श्रीमती उषासना सिंह पता: दुकान नं० यूजी-4 सुरेश नौल, ए०नजी रोड निकट लिवन लख, आगरा, उ०प्र०-282002	परिवर्तित भूमि/सम्पत्ति के सभी भाग एवं खंड फ्लैट नं० 403 (4बीएक), चतुर्थ तल, बम्बुगंजारा नवन, नालंदा प्राइड से ज्ञात विभिन्न खंडार आगरा, उ०प्र०-282002, एरिया: 297०.00 वर्ग फीट, संपत्ति श्री दिलीप कुमार सिंह के नाम, चौकड़दी-पूरब- साइट के अनुसार, पश्चिम-साइट के अनुसार, उत्तर- साइट के अनुसार, दक्षिण- साइट के अनुसार।	₹० 66,23,984.00 दि. 21.04.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्च 21.04.2026 01.09.2026
दिनांक: 01.09.2026	प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0	

फ़ोनिकास ए आर सी लिमिटेड	(पूर्व में फ़ोनिकास ए आर सी प्राइवेट लिमिटेड)
 पंजीकृत कार्यालय: सैन्सरी मॉडल, पॉलेट टावर 139/140/151/1, आरएलए ओक हाउस और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, फ्लैट मासे (पूरु), मुंबई - 400057; फ़ोन: 022-७9482450, फ़ैक्स: 022-७7412313; ईमेल: info@phoenixarc.co.in, वेबसाइट: www.phoenixarc.co.in	
संपत्तियों की अविभाज्य ई-नीलामी बिक्री	
प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे संक्षेप में सारफ़ेसी अधिनियम कहा गया है) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे संक्षेप में नियम कहा गया है) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त सारफ़ेसी अधिनियम और नियमों के अधीन सुरक्षित ऋणों की वसूली के लिए एनई उल्लिखित प्रतिभूति परिसंपत्ति का कब्जा प्राधिकृत अधिकारी से निहित होने के अनुसार सभी, प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति परिसंपत्ति को ई-नीलामी बिक्री के माध्यम से बेचना का निर्णय लिया है। आम जनता तथा विशेष रूप से उपभोक्ता, बैंककर्ता और गारंटर को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित संपत्ति, जो फ़ोनिकास आर्क लिमिटेड (पूर्व में फ़ोनिकास आर्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के पक्ष में बंधक रखी गई है, जो फ़ोनिकास ट्रस्ट एफ्काई25-3 (फ़ोनिकास) के न्यासी के रूप में कार्य कर रही है (आईसीआईडीसीआईडब्लू बैंक लिमिटेड द्वारा फ़ोनिकास के पक्ष में दिनांक 09-04-2025 के साथ समनुदेशन करार के माध्यम से ऋण के समनुदेशन के अनुसार नहीं), को 'जहाँ है जैसी है, जो कुछ है जैसी है और बिना किसी सहारा' की शर्त पर, 'अविभाज्य ई-नीलामी' के माध्यम से, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बकाया राशि तथा उस पर आगे का ब्याज, प्रभार और लागत आदि की वसूली के लिए, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के प्राधान्यों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने के अनुसार, वेबसाइट https://www.bankauctions.com के माध्यम से, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बेचा जाएगा।	
उधारकर्ता का नाम	फ़ारस्ट ट्रेड कॉमिज़िटिक्स
गारंटर का नाम	श्री कुलश्रीर सिंह पक्की, श्री राजलु पक्की, श्रीमती गिरिरा पक्की, लक्ष्मी रोड लाइन्स
उधारकर्ता अधिनियम के तहत धारा 13(2) नोटिस की तिथि तक दस राशि	फीनिकास एक्सासी लिमिटेडके लिए, फ़ोनिकास ट्रस्ट एफ्काई25-3 के न्यासी के रूप में कार्रवाई कर 12,79,54,263.02/- (रुपये बारह करोड़ पचासी लाख चीवन हजार दो सौ तिरास और बीस पैसे मात्र), दिनांक 18-05-2024 की धारा 13(2) की सूचना के अनुसार, साथ ही उस पर भुगतान/वसूली होने तक संबंधितकाल दस पर लागू ब्याज: चुक ब्याज, ब्याज, प्रीमियम, लागत, प्रभार आदि।
एक्सीडेंटसी बैंक के लिए:	
कब्जे का विवरण	भौतिक कब्जे में।
आरक्षित मूल्य	संपत्ति संख्या 1-₹8,10,00,000/- (रुपये आठ करोड़ दस लाख मात्र) संपत्ति संख्या 2-₹.18,00,000/- (रुपये अठारह लाख मात्र)
निरीक्षण की तिथि	संपत्ति संख्या 1-21-09-2026 को दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे तक संपत्ति संख्या 2-अनुप्राप्त पर
यथा उपरोक्त राशि (ई-पट्टीक राशि)	संपत्ति संख्या 1-₹8,10,00,000/- (रुपये इस्वाली लाख मात्र) संपत्ति संख्या 2-₹.1,80,900/- (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र)
बैंक द्वारा राशि	संपत्ति संख्या 1-₹2,00,900/- (रुपये दो लाख मात्र) और एंसी की गुणगुण चौंसठ संपत्ति संख्या 2-₹5,50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) और एंसी ही गुणगुण चौंसठ स
बैंक द्वारा का विवरण	बचतान राशि आर्टीजीएल/एनएफसी के माध्यम से 'फ़ोनिकास ट्रस्ट एफ्काई25-3' के पक्ष में जमा की जानी चाहिए, बैंक का नाम, कोटक मिलाड बैंक लिमिटेड, शाखा: कलिका, ब्रांचू लाइ संख्या: 5548931816 आईएफएससी कोड: KKBK00000631
मौली प्रस्तुत करने की अवधि तिथि (ई-नीलामी)	08 अक्टूबर, 2026 (शुक्रवार) को निश्चित घण्टा की समाप्ति से पहले
ई-नीलामी की तिथि	09 अक्टूबर, 2026 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच
ई-नीलामी का मोड	ऑनलाइन ई-नीलामी
नीलामी और निविदा दर्पणवेब की लिंक लिंक	https://phoenixarc.co.in?p=7447
नीलामी की जा रही सुरक्षित संपत्ति का विवरण	संपत्ति संख्या 1: एक्सीडेंटसी बैंक के साथ प्रथम समानुपाती प्रभार के आधार पर पालेट संख्या 215, क्षेत्रफल 375 वर्ग गज, निकटवर्ती सिविलिय हड्डा मासिक, सेंटर-14, परीदारवाग, हरियाणा-121002 स्थित संपत्ति, जिसके स्वामी श्री कुलश्रीर सिंह पक्की हैं।
ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें	संपत्ति संख्या 2: एक्सीडेंटसी बैंक के साथ प्रथम समानुपाती प्रभार के आधार पर दुकान संख्या 7बी (छठ के अधिकार के बिना), द्वितीय तल, लगभग 320 वर्ग फुट फ्लैटके क्षेत्रफल, रामा पैलेस, फेज 1, सेंटर-20बी, कश्रीदावद में स्थित, खरपुरा संख्या 37/21/4. 38/25/2/2 तल और 41/5/2 तल तथा 42/1 में सम्मिलित (एकना खरारा संख्या 1161, 1162, 1175), ग्राम अजरोचना, तहसील एवं जिला फरीदाबाद में स्थित संपत्ति, जिसकी स्वामिनी सुश्री किरण पक्की हैं।

- नीलामी बिक्री प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के प्राधान्यों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी की गारंताया से और उसके माध्यम से आयोजित की जा रही है। नीलामी/बिक्री केवल वेबसाइट <https://www.bankauctions.com> के माध्यम से 'अविभाज्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम' द्वारा ही की जाएगी। मेसर्स सी० इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के लिए मंच की व्यवस्था करने हेतु सक्षम प्रदाता है।
- नीलामी बोली दर्शावजन ए उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार तथा उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित करी जाते हैं। बिक्री के विस्तृत निमण एवं शर्तों के लिए बोलीदाता फ़ोनिकास की वेबसाइट www.phoenixarc.co.in तथा ऊपर उल्लिखित लिंक और साथ ही सेवा प्रदाता की वेबसाइट www.bankauctions.com पर सभी दर्शावजन, नीलामी हेतु रखी गई प्रतिभूति परिसंपत्तियों का विवरण प्राप्त करने/बोली प्रेषण प्राप्त करने के लिए देख सकते हैं।
- बोलीदाता अपने स्वयं के कार्यालय/अपनी पसंद के स्थान से उद्धरण/बोली प्रस्तुत करके ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक बोलीदाता द्वारा स्वयं दस्तावेज कनिष्ठबिडि की व्यवस्था करनी होगी। प्राधिकृत अधिकारी/फीनिकास प्रदाता को दस्तावेज कनिष्ठबिडि, नेटवर्क संबंधी समस्याओं, प्रणाली के त्रुटि होती, विद्युत विकलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- नीलामी के संबंध में विवरण, सरपटता, प्रक्रिया एवं अनिवार्य प्रक्रियाएं के लिए संभावित बोलीदाता मेसर्स सी० इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के श्री भाषिक पंडजा संपर्क संख्या: +91-124302020/2021/2022/2023/2024, +91-8866662937, ईमेल आईडी: support@bankauctions.com; maharashtra@clindia.com से संपर्क कर सकते हैं।
- बोलीदाता नीलामी हेतु रखी गई प्रतिभूति परिसंपत्ति के विवरण का सत्यापन करने/बोली प्रेषण प्राप्त करने के लिए फ़ोनिकास की वेबसाइट www.phoenixarc.co.in पर भी देख सकते हैं।
- ई-नीलामी का आयोजन उपर्युक्त उल्लिखित दिनांक एवं समय पर किया जाएगा, एवं उपर्युक्त उल्लिखित प्रतिभूति परिसंपत्ति को 'जैसा है जहाँ है' के आधार पर तथा 'जैसा है जो है' एवं 'बिना किसी प्रतिभूतान' की शर्त पर बेचा जाएगा।
- सभी इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को उपर्युक्त उल्लिखित प्लेट <https://www.bankauctions.com> पर अपना नाम पंजीकृत करना और उपर्युक्त उल्लिखित दिनांक एवं समय पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए बिना किसी शुल्क के उपयोगकर्ता पहचान पत्र करना आवश्यक है। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेजों में विस्तृत शर्तों के अनुसार प्रतिभूति परिसंपत्ति के आरक्षित मूल्य की 10% की पचासी पगब बचाना राशि जमा किए जाने के विवरण के साथ पैन फार्ड की प्रतियां, कंपनी के मामले में बॉर्ड के प्रस्ताव तथा पते के प्रमाण की प्रतियां, उपर्युक्त उल्लिखित बचतान राशि जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।
- संप्रतिप्राप्तक बोलीदाता इस आधार का वजनपन प्रस्तुत करेगा कि वह दिनांक और दिवांलितसम संहिता, 2016 की धारा 29(क) के प्राधान्यों के अनुसार अयोग्य नहीं है और केवाईडी दस्तावेजों के साथ ऐसा वजनपन प्रस्तुत करने में विकल रहने पर स्वतः अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा प्रस्तुत की गई बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
- सफल क्रेता/बोलीदाता प्रत्येक मद के लिए अपनी पेशकश की 25% राशि (बचतान राशि सहित) उपर्युक्त उल्लिखित खाते में आर्टीडीएसएन/ईएफसी के माध्यम से उपर्युक्त निवेशक नीलामी की दिनांक को बैंकिंग कार्य समय समाप्त होने से पूर्व अथवा अगले कार्य दिवस से अधिक विबल न करते हुए जमा करेगा/करेगी, जिसकी पूर्ति फ़ोनिकास द्वारा की जानी आवश्यक होगी, ऐसा न करने पर बिक्री को विफल माना जाएगा और उक्त सफल क्रेता/बोलीदाता की बचतान राशि जख कर ली जाएगी।
- ई-नीलामी में सफल नहीं होने वाले अन्य सभी बोलीदाताओं की बचतान राशि ई-नीलामी के समापन के 5 कार्य दिवसों के भीतर फ़ोनिकास द्वारा साफ़ कर दी जाएगी। असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई बचतान राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- खरिद प्रक्रिया के लिए सफल क्रेता प्रतिभूति परिसंपत्ति को बिक्री की पूर्ति के पंद्रह (15) दिन या उससे पहले तथ्यावलि लिखित रूप में समुहगत ऐसी लिखावट अधिक के भीतर सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा देय होगी। बुरक को स्थिति में, तब तक जमा की गई सभी राशियां वापस किए जाने के लिए उपर्युक्त होगी।
- बोली की स्वीकृति के पश्चात बोलीदाताओं के नामों में कोई जोड़ / विलोपन / संशोधन अनुमत नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए केवल पंजीकरण के समय प्रस्तुत बोलीदाताओं के नाम पर ही विचार किया जाएगा।
- संप्रतिप्राप्तियों के निरीक्षण या अधिक जानकारी के लिए, सभी बोलीदाता निम्नलिखित ई-मेल पते पर श्री हर्ष माणिया / सुश्री जानकबी माने harsh.mania@phoenixarc.co.in / janhavi.mane@phoenixarc.co.in / (ई-मेल) या (मोबाइल) +91- 7506107562 / +91-73035 58856 से संपर्क कर सकते हैं।
- नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी अपने विवेकानुसार, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिक्री की इस सूचना के किसी भी नियम और शर्त को बदलने का अपन अधिकार सुरक्षित रखता है तथा प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के सूचना के किसी भी चरण में, बिक्री की इस सूचना को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है या नीलामी को स्थगित कर सकता है।
- सफल क्रेता/बोलीदाता सभी वैधानिक/ऐत, करों, शुल्कों, ठेरा समय शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का वहन करेगा, बिनाक भुगतान लागू करण के अनुसार संपत्ति को उसके/उसके/उसके पक्ष में हस्तान्तरित/पूरुष्ट किए जाने के लिए किया जाना आवश्यक है।
- किसी भी समय संपत्ति पर बकाया सभी वैधानिक/ऐत, वैधानिक देयताओं, करों, दरों, निर्धारणों, प्रभारों, सोसायटी देयताओं, शुल्कों अथि आ भुगतान केवल सफल बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।
- किसी प्रमाणपत्र का पंजीकरण करवाना पूर्णतः सफल बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी। सफल क्रेता/बोलीदाता अपने/अपने पक्ष में अधिकारों के हस्तान्तरण के संबंध में सोसायटी/किसी अन्य प्राधिकरण को देय किसी भी लाइन/ब्याज/शुल्क/प्रभार आदि के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा। राज्य के कानून/नियमों के अनुसार हस्तान्तरण के संबंध में किसी व्यापकपत्र का पंजीकरण पंथमही करवाना जाना आवश्यक है, अन्यथा क्रेता को पंजीकरण में विविक के कारण का उल्लेख करते हुए प्रीनिसस के प्राधिकृत अधिकारी को अनुरोध पत्र देना होगा।
- बिक्री के पंजीकरण के लिए संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यकतानुसार संपत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना, जिसमें लागू शुल्क एवं करों का भुगतान भी शामिल है, सफल बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी। आवश्यक मंजूरीया आधिकारिक प्राप्द करने के संबंध में सभी प्रमाण, विनयें सोसायटी प्रभार, आचार्य प्रमाणपत्र प्राप्त, विद्युत, वात, सोसायटी प्रभार, रक्षाखण प्रभार तथा उक्त संपत्ति को सफल बोलीदाता के पक्ष में हस्तान्तरित करने के लिए आवश्यक प्रमाण शामिल हैं, परंतु इनकी तबक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनकी बोलीदाता द्वारा अपने स्वयं के खर्च, प्रभार और दायित्व पर ध्यान दिए बिना किए जाएंगे।
- किसी सूचना में उल्लिखित बिक्री के अंतर्गत प्रतिभूति परिसंपत्ति, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी पूर्ति की शर्तों से, आता या नहीं या अन्य दस्तावेजनों से लेने वाली बचत या बिक्री सहित सभी प्रकार के मामलों में सफल क्रेता के एकमात्र अधिकार पर और उसी के अधीन रहती है। सफल बोलीदाता किसी भी प्रकार के किसी भी उधार और वर उधारकर्ताओं/बंधककर्ता के जखिम पर उनका निपटन कर देगा।
- प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोच्च आदेश और जानकारी के अनुसार, प्रतिभूति परिसंपत्ति पर कोई भर्त नहीं है, सिवाय इसके कि यदि कोई हो, तो उपर्युक्त तथ्यावलि में उल्लिखित है। इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व नीलामी हेतु रखी गई प्रतिभूति परिसंपत्ति के भार, हक, तथा प्रतिभूति परिसंपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बन्धकों, जिसमें वैधानिक बकाया आदि शामिल है, के संबंध में अपनी स्वयं की खतर प्रस्तावक करेंगे। नीलामी विज्ञापन फ़ोनिकास की किसी प्रब्लिक्ताया किसी अनिवेदन का पठन नहीं करत है और न ही करेगा। फ़ोनिकास का प्राधिकृत अधिकारी भी प्रकार से किसी तृतीय-पक्ष के दावों/अधिकारों/बन्धकों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री हेतु रखी गई प्रतिभूति परिसंपत्ति के संबंध में ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी प्रकार के पते पर विचार नहीं किया जाएगा।
- समाचार पत्र में प्रकाशित ई-नीलामी सूचना में निर्दिष्ट विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोच्च जानकारी के अनुसार दिए गए हैं, तथापि, प्राधिकृत अधिकारी किसी भी उद्देश, गलत विवरण या छूट के लिए जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा।
- यदि उपर्युक्त निम्नलिखित ई-नीलामी की किसी भी कारण से सफल नहीं होती है, तो फ़ोनिकास को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) और SARFEEAS अधिनियम, 2002 के प्राधान्यों के अंतर्गत किसी अन्य विधि द्वारा प्रतिभूति परिसंपत्ति को बेचना का अधिकार होगा।

हस्ता /—
प्राधिकृत अधिकारी,
फ़ोनिकास ए आर सी लिमिटेड (फ़ोनिकास ट्रस्ट वित्तीय बैंक 25-3)

54 जनसत्ता | 4 सितंबर, 2026 | नई दिल्ली

AXIS FINANCE LIMITED

(CIN U65021MH1995PLC212675)

Axis House, C-2, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम ९(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) और नियम 9 (1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु 30 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा/अथवा सह-कर्जदार, अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड (एएफएल) के पक्ष में बंधक रखी गई नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा एएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को 09-10-2026 को 'जहां है जैसा है', 'जो है वही है', 'जो कुछ भी है वहीं है' और 'आश्रय रहित आधार' पर निम्न कर्जदार, सह-कर्जदार से बकाया देय राशि की वसूली हेतु बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित हैं। एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि यदि बिक्री को स्थगित/रद्द नहीं किया जाता है, तो उक्त प्रतिभूति परिसंपत्ति/संपत्ति को उक्त 09-10-2026 को 11:00 बजे पूर्वा. से ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा। ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ईएमडी का डिमांड ड्राफ्ट युक्त सोलवंद लिफाका एएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष 08-10-2026 को 4:00 बजे अप. तक प्रस्तुत करना होगा। प्रतिभूति परिसंपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री नीचे संक्षेप में वर्णित विवरणानुसार "जैसा है जहाँ है" के आधार पर की जाएगी;

क्र.सं.	कर्जदार (ए)/सह-कर्जदार (एँ)/विधिक उत्तराधिकारी (एँ)/विधिक प्रतिनिधियों/जमानतदार (एँ)	मौल्य सूचना की विधि तथा मौल्य सूचना में वर्णित राशि	कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य	तिथि 04.06.2026 तक बकाया
1.	आराडी ड्रेसेस, समूज जैन, मीनू जैन और हियाणु जैन	17.06.2026 रु. 75,02,634/- (रुपए पिचहतर लाख दो हजार छः सौ चौरास मात्र) तिथि 04 जून, 2026 तक	संकेतिक कब्जा	रु. 1,23,93,000/- (रुपए एक करोड़ तेईस लाख तिनानवे हजार मात्र)	रु. 75,02,634/- (रुपए पचहतर लाख दो हजार छः सौ चौरास मात्र) 04 जून, 2026 तक देय
	0456MMA00011180				

संपूर्ण निर्मित तृतीय तल का समस्त भाग, छत के अखिल आरक्षित, भूमि क्षेत्रफल 80 वर्ग गज अर्थात् 66.88 वर्ग मीटर, लिफ्ट/कवर्ड क्षेत्रफल 66.88 वर्ग मीटर, तथा सूखे पर विद्यमान संपूर्ण संरचना सहित, जिसमें एक होल समिलित हैं, जिसमें विद्युत एवं जल नल कनेक्शन पृथक मीटरों सहित लागू हैं, सामान्य प्रवेश, मार्ग एवं सीढ़ी सहित, तथा शीशु तल की छत पर जल टंकी एवं टीवी एंटीना स्थापित करने/रखरखाव के अधिकार सहित, संपत्ति संख्या /138 (पुनर्ने प्लॉट संख्या 15 एवं 16 पर निर्मित), खरसत संख्या 588/457/73/8 में से, आबादी गणेशी दारा बिन्धु के क्षेत्र में स्थित, रघुबर पुरा नं. 1, गांधी नगर, ग्राम सीलमपुर, शाहदरा, दिल्ली-110031, तथा नीचे की भूमि में अनुपातिक, अविभाजित, एवं अपरिहाय रियासिम अधिकार सहित सीमाएँ- पूर्व: गली, पश्चिम: गली, उत्तर: अन्य की संपत्ति, दक्षिण: अन्य की संपत्ति

नोट:- बोलोद्वारा को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी जमा करने से पूर्व उचित पक्षधर करें। नीलामी मुकदमेबाजी, विवाद, यदि कोई हो, के परिणाम के अर्धिन होगी

नीलामी में, व्यतिरिक्त जनसामान्य को अपनी बोली जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, इस बिक्री के संक्षेप में कोई कर्तव्य निभाते वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, एलाइक, बचोई या अन्य संपत्ति में किसी भी हित के लिए परामर्श या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, अधिष्ठाता नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निरधारित नहीं और निष्पत्ति निषेधों और शर्तों के अर्धिन होगी: संपत्तियों की ई-नीलामी 09.10.2026 को 11:00 बजे पूर्वा. पर <https://axisfinance.com/procurement/EP/PROC/> के माध्यम से होगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया समाचार पत्रों और वेबसाइट: www.axisfinance.com पर प्रकाशित सूचना देखें।

संपर्क व्यक्ति का विवरण और मोबाइल नंबर: श्री अरुण भट्टनायक: 9811710558

स्थान:- दिल्ली

हस्ता./-

अधिकृत अधिकारी
एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत पता: सी-2, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400025

सीआईएफ: U65021MH1995PLC212675

संपूर्ण निर्मित तृतीय तल का समस्त भाग, छत के अधिकार सहित, भूमि क्षेत्रफल 80 वर्ग गज अर्थात 66.88 वर्ग मीटर, प्लिंथ/कवर्ड क्षेत्रफल 66.88 वर्ग मीटर, तथा स्थल पर विद्यमान संपूर्ण संरचना सहित, जिसमें एक हॉल सम्मिलित है, जिसमें विद्युत एवं जल नल कनेक्शन पब्लिक यूटिलिटी सेहित लागे हुए हैं, सामान्य प्रवेश, मार्ग एवं सीढ़ी सहित, तथा शीर्ष तल की छत पर जल टैंक एवं टीबी एटीना स्थापित करने/रखरखाव के अधिकार सहित, संपत्ति संख्या /138 (गुरु प्लांट संख्या 15 एवं 16 पर निर्मित), खसरा संख्या 588/457/73/8 में से, अबादी गणेशी दास बिल्डिंग के क्षेत्र में स्थित, खुबुर पुग नं. 1, गांधी नगर, ग्राम सोलमपुर, शाहदरा, दिल्ली-110031, तथा नीचे की भूमि में अनुपातिक, अविभाजित, एवं अपरिहार्य स्वामित्व अधिकार सहित सीमाएं- पूर्व, गली, पश्चिम, गली, उत्तर, अन्य की संपत्ति, दक्षिण: अन्य की संपत्ति

नोट:- बोलीदाताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे बोली जमा करने से पूर्व उचित पश्चिम कर लें। नीलमी मुकदमेवाजी, विवाद, यदि कोई हो, के परिणाम के अधीन होंगे।

नीलामी में, व्यक्तित्व प्राप्त जनसामान्य को अपनी बोली जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, इस बिक्री के संबंध में कोई करतव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या नवीकर्ता, हलालिक, बेचो गई अचल संपत्ति में किसी भी हित के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, अधिग्रहण नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होंगे: संपत्तियों की ई-नीलामी 09.10.2026 को 11:00 बजे पूर्वा. पर प्लेट <https://sarfaes.auctionright.com/EPROC/> के माध्यम से होगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया सम्भाषण पत्रों और वेबसाइट: www.axisfinance.com पर प्रकाशित सूचना देखें।

संपर्क व्यक्ति का विवरण और मोबाइल नंबर: श्री अमन भट्टराय: 9811705558

स्थान:- दिल्ली

पंजीकृत पता: सी-2, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400025
सीआईएन: U6921MH1995PLC212675

गौडियम आईवीएफ

Delivering Motherhood Dreams

पंजीकृत कार्यालय: बी-1/51, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, भारत, दूरभाष: 011-4885.8585
ईमेल: compliance@gaudiumivfcentre.com | वेबसाइट: www.gaudiumivfcentre.com
सीआईएन: L85100DL2015PLC278296

11वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एससीए) द्वारा दत्त संबंध में जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पठित सामान्य परिपत्र सं. 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 के अनुसार, 2025 के अनुपालन में कंपनी की एजीएम बुलाने वाली सूचना में निर्धारित व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए गौडियम आईवीएफ एंड वीमेन हेल्थ लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 11वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, 28 सितंबर, 2026 को 02:00 बजे अप. (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")अन्य ऑडियो वीडियो साधनों ("ओएसवीओ") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बी-1/51, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, भारत माना जाएगा।

कंपनी ने लागू वैधानिक आवश्यकताओं और परिपत्रों के अनुपालन में, 3 सितंबर, 2026 को एजीएम की सूचना और पितर एवं पत्रों के माध्यम से कॉर्पोरेट रिपोर्ट ईमेल द्वारा केवल शुक्रवार, 28 अगस्त, 2026 तक कंपनी के शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्यों को और जिसके ईमेल पते कंपनी/डिजिटली प्रतिभागियों/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट – मिमेशोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ("आरटीई") के साथ पंजीकृत थे, विधिवत भेज दी हैं। कंपनी की सभी प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक शेयर पुंजी डीमैटरेकलनाइज्ड रूप में धारित है। इसके अलावा, भारतीय प्रतियुति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के विनियम 38(1)(ी) के अनुसार, एजीएम की सूचना और पितर एवं पत्र 03 सितंबर, 2026 को उन सदस्यों को भेजा गया था, जिन्होंने कंपनी या कंपनी के किसी भी डिजिटलरी या आरटीए के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है।

कंपनी 20 अक्टूबर, 2023 ("अधिनियम") की धारा 108 और यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्राधान्यों, सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44 के अनुसार, 2026 में अधिनियम में, कंपनी अधिनियम और परिपत्रों के अनुसार एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी व्यवसायों पर सभी प्राप्त सदस्यों की रिपोर्ट ई-वोटिंग सुविधा ("रिपोर्ट ई-वोटिंग") और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा ("ई-वोटिंग") (सामूहिक रूप से "इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग") प्रसारित कर रही हैं। जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डालेंगे, वे ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में मतदान कर सकेंगे। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा और वीसी/ओएसवीओ के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल रिस्कार्पेट्रीज डिजिटलरी लिमिटेड ("एनएससीडीएल") की सेवाएं ली हैं। मेसर्स सुरेश मेनवावल एंड कंपनी, प्रिंटेडिसस कंपनी सेक्रेटरी (एफआरएन: S2020DE764700, पीएर रिस्यू नंबर 3349/2023) को कानून के अनुसार, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया आयोजित करने के लिए सौंपीक के रूप में नियुक्त किया गया है।

क. कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 21 सितंबर, 2026 को मौलिक रूप में या डीमैटरेकलराइज्ड रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से, सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर अपना वोट डालने के हकदार होंगे। वीसी सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोटेशन के उद्देश्य से जमा जाएगा।

ख. पितर एवं पत्र 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की ईमेलिंग कंपनी द्वारा 3 सितंबर, 2026 को पूरी कर दी गई है।

ग. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026, 09:00 बजे पूर्वा. भा.मा.स. शुरू होगी और रविवार, 27 सितंबर, 2026, 05:00 बजे अप. भा.मा.स. समाप्त होगी। इसके बाद एनएससीडीएल द्वारा मतदान के लिए ई-वोटिंग मंचबुलुत को अक्षम कर दिया जाएगा। वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे एजीएम के दौरान कोटेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई एनएससीडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

घ. कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्रभार करता है और एजीएम की सूचना प्रभार के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 21 सितंबर, 2026 तक शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएससीडीएल के साथ पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग मतदान के लिए किया जा सकता है।

ङ. एक बार जब सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करके किसी संकल्प पर मतदान किया जाता है, तो उसे बाद में बदलने या दूसरा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे दूसरा अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। जिन धारकों के मतदान हैं, जिस सदस्य का नाम लाभगोभी स्थानियों के रजिस्ट्रार में सबसे पहले आता है, वह मतदान करने का हकदार होगा।

च. सदस्य इस बात पर ध्यान दें कि पितर एवं पत्र 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 11वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.gaudiumivfcentre.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा एनएससीडीए की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं।

छ. प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां एजीएम को तिथि तक कार्य दिवस पर व्यावसायिक घंटों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मोड में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी। सदस्य compliance@gaudiumivfcentre.com को ईमेल भेजकर इसका निरीक्षण कर सकते हैं।

ज. सदस्य अपने रिमोट ई-वोटिंग कंटेनियर का उपयोग करके एनएससीडीए ई-वोटिंग सिस्टम में लॉग इन करने के बाद कंपनी के नाम के सामने "Join Meeting" मेनू के तहत "वीसी/ओएसवीए" लिंक पर क्लिक करके वीसी/ओएसवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। यह सुविधा दसवें दसक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनट पहले और बाद तक पहले-आओ-पहले-जाओ के आधार पर उपलब्ध होगी।

झ. जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए अपना ईमेल पता पंजीकृत करवाएं।

ञ. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत/निर्वाह के मामले में, सदस्य सूत्री प्लवदी न्हावे, उप-उपध्यक्ष, एनएससीडीए से ईमेल evoting@nsdl.com संपर्क नंबर 022-4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए सदस्य श्री नीवीन कुमारे, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय बी-1/51, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, भारत, दूरभाष: 011-4885.8585, ईमेल: compliance@gaudiumivfcentre.com पर संपर्क कर सकते हैं।

डिजिटलरी यानी एनएससीडीए और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतियुति/या धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएससीडीए के साथ डीमैट मोड में प्रतियुति/या धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएससीडीए हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतियुति/या रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-21-09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

गौडियम आईवीएफ एंड वीमेन हेल्थ लिमिटेड के लिए
हस्ता. /-
नीवीन कुमार
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या: A69788

दिनांक: 3 सितंबर, 2026
स्थान: नई दिल्ली